आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (15)लेखा/आकाशि/मे.छा.स्कूटी/2015–16/197 दिनांक 04-06-2015

मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015

1– योजना का उद्देश्य :–

राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है ।

2– नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :–

(1) इस योजना का नाम **मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015** होगा ।

(2) यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होगी ।

(3) यह योजना 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होगी तथा वर्ष 2015–16 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगी।

3– परिभाषाएँ :–

(1) राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।

(2) विभाग से तात्पर्य आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से है ।

(3) सचिव से तात्पर्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान से है ।

(4) आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, विभाग राजस्थान से है ।

(5) प्राचार्यो से तात्पर्य राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों/ राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों (पास,ऑनर्स एवं तकनीकी कोर्स) के प्राचार्य से है।

(6) विभागाध्यक्ष से तात्पर्य राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के समस्त संकाय विभागों के अध्यक्ष से है।

(7) स्नातक डिग्री से तात्पर्य पास, ऑनर्स एवं तकनीकी कोर्स की डिग्री से है ।

(8) मूल निवासी से तात्पर्य वह छात्रा जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ है तथा छात्रा के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो ।

4– योजना के अन्तर्गत देय लाभ (स्कूटी वितरण) :–

राजस्थान मूल की वे छात्राऐ जिन्होंने राजकीय विद्यालय से 9वीं से 12वीं तक अध्ययन पूरा कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको जिलेवार वरीयतानुसार कुल 1650 (प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा 12वीं कक्षा का संकायवार परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् वे छात्राऐं जिनके 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए है उनकी जिलेवार प्रथम 100 छात्राओं की सूची आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान को उपलब्ध करवाई जावेगी ।

यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/सही प्राप्त नहीं होते है, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगें उतनी स्कूटी वरीयता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।

यह व्यवस्था वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ होकर आगामी आदेश तक चालू रहेगी।

स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

नोटः–

1– छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विक्रय/बेचान नहीं किया जा सकेगा ।

2– वर्तमान में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में तथा विशेष पिछडा वर्ग की छात्राओं के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत स्कूटी वितरण की योजनाऐं पृथक से संचालित की जा रही है। अतः उपरोक्त दोनो वर्ग की छात्राऐं इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगी ।

5– **पात्रता :– छात्रा द्वारा पात्रता की निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :–**

(1) योजना का लाभ उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जिन्होंने–

(A)– 9वीं से 12वीं कक्षा तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत् रहकर उत्तीर्ण की हो ।

(B)– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण की हो।

(C)– राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों/ राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो ।

(2) छात्रा के माता – पिता/अभिभावक/संरक्षक/ पति आयकरदाता नहीं हो।

(3) योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा।

(4) जिन छात्राओं को अन्य छात्रवृति/आर्थिक सहायता मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी देय नहीं है । यदि वे इस योजना में लाभ नहीं ले पाती है तो वे अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगी ।

(5) स्कूटी हेतु 12वीं कक्षा व नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में अन्तराल (गेप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

6— आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज :—

(1) संबंधित छात्रा द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत् रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

(2) 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्व—प्रमाणित फोटो प्रति ।

(3) राजकीय महाविद्यालयों/ राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की स्व—प्रमाणित फोटो प्रति।

(4) मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की स्व—प्रमाणित फोटो प्रति ।

(5) छात्रा के माता—पिता/पति, अभिभावक /संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत स्व—प्रमाणित शपथ पत्र ।

(6) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति ।

(7) इस आशय का शपथ पत्र की छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति/ योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है ।

7— आवेदन प्रकिया :—

(1) मेधावी छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्णतयाः भरकर एवं स्वयं का फोटो चस्पा कर वांछित दस्तावेजों के साथ अध्ययनरत महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा । आवेदन पत्र कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट **dce.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है ।

(2) प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जॉच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।

8— भुगतान प्रकिया :—

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में प्राचार्यो से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर राजकीय महाविद्यालयों/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार जिलेवार वरीयता सूची (प्रथम 50 छात्राओं को) बनाकर कुल 1650 (एक हजार छः सौ पचास) छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत कर वितरित की जावेगी।

9— बजट प्रावधान :—

योजना के लागू किये जाने हेतु वित्त विभाग बजट आवंटन तथा बजट मद आयोजना मद

2202— सामान्य शिक्षा
03— विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा
103— राजकीय कॉलेज तथा संस्थान
03— राजकीय महाविद्यालयों में मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण
13— छात्रवृति और वृत्तिका

खोला जाकर वर्ष 2015—16 में 700.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत कर आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेंगे ।

10— आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ :—

आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता—पिता/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को सम्मिलित किया जावेगा।

(1) वेतन भोगी कर्मचारी अपनी गत वर्ष की आयकर विभाग द्वारा जारी इन्कम टैक्स रिटर्न की स्व—प्रमाणित प्रति संलग्न करें । इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियोक्ता से आयकरदाता नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार /इनके बोर्ड/कोर्पोरेशन,बैंक, एल.आई.सी.कम्पनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित है ।

(2) पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें ।

(3) वेतन/पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा जो आयकरदाता नहीं है, सभी को 10/— रूपये के नॉन—ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर आयकरदाता नहीं होने का शपथ पत्र प्रमाणित कर देना होगा । शपथ पत्र पर आय संबंधी कपोल—कल्पित सूचना देने पर विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित छात्रा/उसके माता—पिता/ अभिभावक / संरक्षक/पति (जो भी लागू हो) की होगी ।

11— नियमों का विनिर्णय :—

इन नियमों की व्याख्या शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

(श्रवण साहनी)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग, राज., जयपुर

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (15)लेखा/आकाशि/मे.छा.स्कूटी/2015–16/ 1029   दिनांक :– 13/4/2016

परिपत्र

मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015 के बिन्दु संख्या 5(2) एंव नियमों में उल्लेखित ''आयकरदाता नहीं हो'' के स्थान पर ''सकल वार्षिक आय 2.50 लाख'' प्रतिस्थापित की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101600817 दिनांक 24.02.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

(अनूप खींची)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा
एंव पदेन संयुक्त शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (15)लेखा/आकाशि/मे.छा.स्कूटी/2015–16/ 1030-37   दिनांक :– 13/4/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला नोडल अधिकारी।
8. प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।

(माधो सिंह चारण)
मुख्य लेखाधिकारी